

झारखंड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।


आदेश  
=====

आदेश संख्या-2/वरी0आ0-021/2003 कट0 6385 /रांची, दिनांक 24 नवम्बर, 03

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र ज्ञापक-4626 दिनांक 16.8.2003 द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का औपबधिक आपत्ती वरीयता सूची का प्रकाशन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से उक्त के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था । पदाधिकारियों से प्राप्त आपत्तियों के समीक्षोपरांत राज्य सरकार सेशन मूल कोर्ट में वरीयता सूची को अन्तिम रूप से प्रकाशित करती है ।

2. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय से आछादित मामले को यथास्थान वरीयता में सम्मिलित कर दिया गया है ।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा के झारखंड में कार्यरत सर्वश्री/श्रीमती जयश्री झा {967/99}, अनिल कुमार {2088/99}, नुस्ल होडा {2096/99}, महेन्द्र प्रसाद सिंह {2144/99}, नीलम लता {2344/99} तथा नीलज कुमारी {2527/99} के वरीयता के संबंध में उनके राज्य सर्वर्ग के अन्तिम आवंटन के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा

  
मुख्त्यार सिंह  
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापक-2/वरी0आ0-021/2003 कट0 6385 /रांची, दिनांक 24 नवम्बर, 03

प्रतिलिपि: -अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित । मुद्रित वरीयता की 1000 प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय ।

  
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापक-2/वरी0आ0-021/2003 कट0 6385 /रांची, दिनांक 24 नवम्बर, 03

प्रतिलिपि: -सभी विभाग/विभाग अध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त झारखंड एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

